

110

श्री.

निगरानी प्रकरण कं० :- /12

प्रस्तुति दिनांक :- 31/10/12

न्यायालय माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल

R-3992-PBR/12

म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष

नन्दू पिता रोशन नायता
उम्र 71 वर्ष, धन्धा खेती
निवासी ग्राम घाटा बिल्लोद,
तह0 देपालपुर जिला इन्दौर

श्री शक्ति सिंह तोमर
प्राची/अभिभाषक द्वारा दिनांक 31/10/12
को प्रस्तुत

765/31-10-2012

अधीक्षक

— आवेदक

विरुद्ध

सतपाल आनन्द पिता साहेब दित्तामल
आनन्द निवासी 120, जावरा
कम्पाउण्ड, इन्दौर

— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा

32 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता

मान्यवर,

माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर के प्रकरण
कं० 12/निगरानी/2011-12 नन्दु पिता रोशन निवासी ग्राम घाटा
बिल्लोद ग्राम घाटा बिल्लोद विरुद्ध सतपाल आनन्द पिता साहेब दित्तामल
मे धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पर पारित आदेश दिनांक 7-8-12 से
दुखित एवं व्यथित होकर आवेदक द्वारा श्रीमान के समक्ष यह पुनरिक्षण
सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

कलक

शेष पेज — 2 पर



Camp gndr
and
15/11/12

20-11-12

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3992-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदकपक्ष व उसके अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p> बीउर</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	